झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

03
02/01/2026

संकल्प

विषयः— **राज्य अन्तर्गत सरकारी सेवाओं में राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु आयु—सीमा का निर्धारण।**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक—29 दिनांक—04.01.2021 के द्वारा राज्य के सरकारी सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा निम्न प्रकार निर्धारित की गई है :—

			सामान्य अधिकतम आयुसीमा	दिव्यांगजनों के लिए
(क)	(i)	अनारक्षित	— 35 वर्ष	— 45 वर्ष
	(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	— 37 वर्ष	— 47 वर्ष
	(iii)	महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	— 38 वर्ष	— 48 वर्ष
	(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	— 40 वर्ष	— 50 वर्ष
	(v)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	— 35 वर्ष	— 45 वर्ष

(ख) भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।

उक्त संकल्प दिनांक—01.01.2021 से दिनांक—31.12.2025 तक प्रभावी है, जिसके प्रभावी रहने की समय—सीमा समाप्त हो रही है। अतः इसका अवधि विस्तारित किया जाना अपेक्षित है।

2. वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य अन्तर्गत सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्धारित अधिकतम आयुसीमा को यथावत रखते हुए राज्य के सरकारी सेवाओं में नियोजन हेतु अधिकतम उम्रसीमा को निम्नवत निर्धारित किये जाने का प्रस्ताव हैः—

			सामान्य अधिकतम आयुसीमा	दिव्यांगजनों के लिए
(क)	(i)	अनारक्षित	— 35 वर्ष	— 45 वर्ष
	(ii)	पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	— 37 वर्ष	— 47 वर्ष
	(iii)	महिला (अनारक्षित/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)/ पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	— 38 वर्ष	— 48 वर्ष
	(iv)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	— 40 वर्ष	— 50 वर्ष
	(v)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	— 35 वर्ष	— 45 वर्ष

(ख) भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट।

सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु निर्धारित अधिकतम आयु—सीमा अगले पाँच वर्षों तक अर्थात **दिनांक—01.01.2026 से दिनांक—31.12.2030 तक** प्रभावी रहेगी। दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अधिकतम उम्रसीमा में कोटिवार 10 (दस) वर्षों की छूट यथावत रहेगा।

3. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक—23.12.2025 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या—19 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
02/01/26
(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

ज्ञापांक–10/नीति नि०–07–04/2015 का॰–03/राँची, दिनांक 02/01/2026

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

02/01/26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–10/नीति नि०–07–04/2015 का॰–03/राँची, दिनांक 02/01/2026

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/01/26

सरकार के सचिव।

Scanned with OKEN Scanner